# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

पत्रांक 472 /33–1रोड/दिनांक, हमीरपुर, अगस्त 19 ,2019.

2359/C4
20/08/2019

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड–2
लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर।

**विषयः–जनपद–हमीरपुर में बिलरायॉं–पनवाड़ी मार्ग (राजमार्ग संख्या–21) के चैनेज कि0मी0 398.00 से 427.00 (चिकासी से राठ) एवं चैनेज 430.00 से 442.00 (राठ से पनवाड़ी सीमा) तक 4–लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य में बाधक वृक्षों की गणना के** सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–1088/सी–1/दिनॉक 29.07.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विलरायॉं–पनवाड़ी (राजमार्ग संख्या–21) क्षेत्रीय वन अधिकारी, राठ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार संरक्षित मार्ग है। प्रभागीय अभिलेखानुसार उरई–राठ रोड संरक्षित है। आरक्षित/संरक्षित/अवर्गीकृत वन क्षेत्र में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना गैरवानिकी कार्य किया नही किया जा सकता है और जब तक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त नही हो जाती है वृक्षों का पातन कराया जाना सम्भव नही होगा। नियमानुसार तत्काल प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करें जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

अतः सूचना आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(नरेन्द्र सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

पृष्ठांकन संख्या....................../अ/समदिनॉकित।

प्रतिलिपि–उप प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय वन अधिकारी, राठ एवं सरीला को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी वृक्षों की गणना का व्यास श्रेणीवार/प्रजातिवार वृक्षों की संख्या का गोशवारा एवं सड़क चौड़ीकरण में पड़ रहे वन भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं जब पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त नही हो जाती तब तक किसी भी दशा में वृक्षों का पातन न होने दें।

(नरेन्द्र सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

(29)

## VAN VIBHAG

---

### MISCELLANEOUS

*February 10, 1960*

**No. 1115/XIV-331-50.**-Whereas the Governor, Uttar Pradesh, is of the opinion that the making of enquiry and record contemplated under sub-section (3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act no. XVI of 1927), will occupy such length of time as in the meantime to endanger the rights of the State Government. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to the aforesaid sub-section and by sub-section (1) of the said section, read with section 80-A of the aforesaid Act, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to declare that pending such enquiry and record the provisions of chapter IV of the said Act to be applicable to the lands specified in the Schedule hereto :

**Schedule**

| | District | Serial no. | Name of road | Mileage to be declared as Reserved or Protected Forest | | | | | | Description of boundary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 |
| | | | | From | | | To | | | |
| | | | | M. | fg. | fl. | M. | fg. | fl. | |
| 10. | Jalaun | 1 | Ait-Kotra Road | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | The boundary of the land has been demarcated on the ground by the stone pillars. |
| | | 2 | Lucknow-Jhansi Road | 97 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | Ditto. |
| | | 3 | Orai-Rath Road | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Ditto. |
| | | 4 | Hamirpur-Kalpi | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | Ditto. |
| | | 5 | Orai-Oraiya Road | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | Ditto. |
| | | 6 | Jalaun-Bangra | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Ditto. |
| | | 7 | Konch-Nadigaon Road | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Ditto. |

D:\Bhagat Sing J E\Brijendra J.E\Praman_Patra Forest.doc

Scanned by CamScanner